अति–आवश्यक

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(पंचायती राज)

विकास खण्ड शासन सचिववालय जयपुर दुरभाष 0141–2227275,ईमेल – seprd123@gmail.com

कमांक एफ.4(24) पराविं/पीसी/ विविध पत्र/2015/ 1774 जयपुर, दिनांक 30.6.16

मुख्य कार्यकारी अधिकारी
जिला परिषद समस्त

विषय :– ग्राम पंचायत/पंचायत समिति तथा जिला परिषद स्तर पर एक ही बैंक खाता रखे जाने बाबत्।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि विभाग द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग के माध्यम से इंटीग्रेटेड राज ई–पंचायत सॉफ्टवेयर का विकास करवाया जा रहा है। इस सॉफ्टवेयर में कार्यों की योजना तैयार करने से लेकर कार्य सम्पादन तक की सम्पूर्ण प्रक्रिया, वित्तीय प्रबंधन एवं अन्य सभी महत्वपूर्ण पहलुओं को शामिल किया जा रहा है। अभी तक इस सॉफ्टवेयर संबंधित लगभग 30 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है तथा माह अगस्त, 2016 तक सॉफ्टवेयर का विकास पूर्ण होना सम्भावित है।

उपलब्ध सूचना अनुसार पंचायती राज संस्थाओं द्वारा एक से अधिक बैंकों में अपने खाते खुलवाये हुए है, जो वित्त विभाग द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुकूल नही है। प्रभावी वित्तीय प्रबंधन के लिए इस सॉफ्टवेयर में प्रत्येक ग्राम पंचायत/पंचायत समिति एवं जिला परिषद स्तर पर एक बैंक खाता रखा जाना अपेक्षित है।

अतः यह निर्देशित किया जाता है कि:–

1- प्रत्येक ग्राम पंचायत/पंचायत समिति एवं जिला परिषद स्तर पर एक से अधिक बैंक खाते नहीं रखे जावे। बैंक खाता किसी भी कोर बैंकिंग सुविधा वाले बैंक में ही रखा जावे। एक से अधिक बैंक खाते होने की स्थिति में अन्य बैंक खातों को शीघ्र बंद करवाया जाए।
2- यदि ग्राम पंचायत/पंचायत समिति एवं जिला परिषद स्तर पर किसी योजना के प्रावधानों के अनुसार पृथक खाता रखा जाना अनिवार्य हो तो इसकी सूचना ई–मेल seprd123@gmail.com पर भिजवायी जावे।
3- ग्राम पंचायत/पंचायत समिति एवं जिला परिषद में वर्तमान में प्रचलित/प्रभावी खातों का पूर्ण विवरण प्रेषित किया जाना सुनिश्चित किया जावे, साथ ही यह प्रमाण–पत्र भी प्रेषित करावे कि इन निर्देशों की पालना में मात्र एक ही खाता चालू रखा गया है एवं शेष खातों को बंद करवा दिया गया है।
4- उक्त निर्देशों की कियान्विति रिपोर्ट दिनांक 30.06.2016 तक भिजवाया जाना सुनिश्चित करावे।

(आनन्द कुमार)
शासन सचिव एवं आयुक्त

कमांक एफ.4(24) पराविं/पीसी/ विविध पत्र/2015/ जयपुर,दिनांक

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1. अति0 मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद, समस्त।
2. विकास अधिकारी, पंचायत समिति समस्त को पालनार्थ।

(मुकेश माहेश्वरी)
अधीक्षण अभियन्ता